जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक 22.05.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 128 वाहनों से 1,46,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 128 वाहनों से 1,46,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित 05 अभियुक्तगण/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अजीत चौहान** के पर्यवेक्षण थानाध्यक्ष दुधारा **श्री इन्द्रभूषण सिंह** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 161/2025 धारा 85/80(2) व 3/4 डी0पी0 एक्ट मे वांछित अभियुक्तगण/अभियुक्ता नाम पता **01. विशाल बर्नवाल पुत्र धनश्याम 02.** धनश्याम पुत्र स्व0 रामदास 03. प्रभात उर्फ मंगेश पुत्र धनश्याम 04. कविता पत्नी धनश्याम 05. दीक्षा उर्फ प्रज्ञा पुत्री धनश्याम निवासीगण ग्राम तिलजा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को तिराहा बिगरा अव्व्ल से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्तगण/अभियुक्ता द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित व मार पीट कर रहे थे दहेज की मांग पूरी न करने पर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 21.05.2025 को गला दबाकर हत्या कर दिया गया था, जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध गंभीरता से लेते हुए थाना दुधारा पुलिस द्वारा हुए उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक 22.05.2025 को उक्त आरोपी अभियुक्तगण/अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, हो0का0 अनिल मिश्रा, का0 रंजन कुमार सिंह, का0 नवतेज सिंह, का0 रत्नेश सिंह, म0आ0 आरती सिंह।